संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र. 4 / एम0 आर0 / कार्यो0 / 2007 / 1525 भोपाल दिनांक: 26 / 05 / 2007

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   स्वास्थ्य सेवाएं
   मध्यप्रदेश।

विषयः– गम्भीर उपचार व फालोअप उपचार के संबंध में चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रक्रिया का पुर्ननिर्धारण।

मान0 मुख्यमंत्री, म0 प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देश के पालनार्थ उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय प्रक्रिया का निम्नानुसार पुर्ननिर्धारण किया जाता है, ताकि शासकीय कर्मचारियों के उपचार व फालोअप के प्रकरणों का निराकरण 1 माह के समय में किया जा सके।

शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा देयकों का भुगतान एक माह के अन्दर करने हेतु प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1. गम्भीर बीमारियां जैसेः– गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोसर्जरी / न्यूरोलाजी आदि के उपचार हेतु डीन, मेडिकल कॉलेज की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के रेफरल प्रमाणपत्र के आधार पर राज्य के अन्दर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार की अनुमति के साथ ही, रोगी के फालोअप उपचार हेतु 6 माह की स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. 6 माह फालोअप उपचार की अनुमति के समाप्त होने के 10 दिवस पूर्व ही आवेदक द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख को आंगामी फालोअप उपचार हेतु संबंधित प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदन करना होगा।

3. कार्यालय प्रमुख 10 दिवस के अन्दर आवेदन पूर्ण कर वांछित जानकारी एवं निर्धारित प्रपत्र में **संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म0 प्र0** को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। कृपया मूल प्रमाण पत्र संलग्न कर भेजे जावें।

4. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय से 10 दिवस के अन्दर प्रकरण का निराकरण कर संबंधित विभाग को वापिस किया जाएगा।

इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार उपचार अनुमति व फालोअप उपचार के प्रकरणों का निपटारा 1 माह के समय में किया जा सकेगा।

(डॉ0 एम0 के0 जोशी)
संचालक स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश